6 — परिशिष्ट (अ)

[14/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 782]

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / एफ- 12-11/2006/25-2/507. भोपाल दिनांक 16/3/2015

प्रति

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– छात्रावास आश्रमों के संचालन एवं अधीक्षकों की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश।

विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक एवं अधिक्षिकाओं की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में छात्रावास संचालन नियमावली 1966–67 प्रचलित हैं। परन्तु इस दिशा में तार्किक बिन्दुओं को संकलित एवं संवर्धित करते हुये नवीन निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. छात्रावास आश्रमों में प्राथमिकता से अनुसूचित जन जाति तथा अनुसचित जाति के अधीक्षक पदस्थ किये जायें।
2. छात्रावास आश्रमों में अधीक्षकों का कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष रखा जाये यदि उसका कार्य संतोषप्रद है तो कार्यकाल 05 वर्ष तक बढ़ाया जाये।
3. कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला अधिक्षिका की नियुक्ति की जाय।
4. छात्रावास आश्रम परिसर में अधीक्षक का निवास करना अनिवार्य होगा।
5. अधीक्षकों की नियुक्ति करते समय अंग्रेजी एवं गणित के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाये।
6. योग, खेलकूद, की गतिविधियों में दक्ष को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के लिये प्राथमिकता दी जाये। जिस शिक्षक का उसके विषय में तीन वर्ष का परीक्षा परिणाम उत्तम हो उसे प्राथमिकता दी जाये।
8. संबंधित के विरूद्ध पूर्व में कोई गंभीर शिकायत, अपराध इत्यादि न पाया गया हो।
9. संबंधित शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिये।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक / एफ– 12-11/2006/25-2/ 508,
प्रतिलिपिः–

1 समस्त संभागीय आयुक्त संभाग मध्यप्रदेश ।
2 समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंयायत मध्यप्रदेश ।
4 समस्त संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश
5 समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास म0प्र0-।
6 समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश

........की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 16/3/15

पृ.क्रमांक / छात्रावास / 164 / 2015 / 5862
प्रतिलिपिः–

1. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
2. समस्त सम्भागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्य प्रदेश।
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश।
4. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्य प्रदेश।

की ओर शासन द्वारा उपरोक्तानुसार छात्रावास आश्रमों के संचालन एवं अधीक्षकों की नियुक्ति हेतु जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

उप–आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्य प्रदेश